

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 13/2024
प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

गैबो उर्फ गुरदेवकौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति चूड़ा साकिन लीलावाली
हाल आबाद संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ अप्रार्थी

उपस्थित :- स्वयं - प्रार्थीया

आदेश

दिनांक :- 29.5.2024

प्रार्थीया स्वयं ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट का इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थीया गैबो पुत्री मुखत्यार सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 3 डीएलपी खाता संख्या 71/87 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र के है। मुझ प्रार्थीया का पिहर का नाम गैबो पुत्री मुखत्यार सिंह है तथा सुसाल में नाम बदलकर गुरदेव कौर पत्नी महेन्द्र सिंह रख लिया था। इस कारण से मुझे मेरे पिता से मिली भूमि में पिहर पक्ष का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चक नम्बर 3 डीएलपी के खाता संख्या 71/87 में गैबो पुत्री मुखत्यार सिंह व अन्य कागजात जैसे आयकर पैन कार्ड निर्वाचन आयोग पहचान कार्ड आयुश्मान कार्ड जन आधार कार्ड मे नाम गुरदेव कौर पत्नी महेन्द्र सिंह अंकित है। उक्त दो नाम होने से मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे मेरी खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है प्रार्थीया अपने उपरोक्त वर्णित भूमि पर किसी प्रकार से सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओ का लाभ नहीं उठा पा रही है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करना सही नाम करने की इस्तदुआ करती है। मुझ प्रार्थीया को दो नामो गैबो उर्फ गुरदेव कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है। इसके साक्ष्य सरूप में ग्राम पंचायत लीलावाली के सरपंच की तरदीक व सिंचाई विभाग की पानी की पर्ची प्रस्तुत कर रही हूँ।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का नाम चक नम्बर 3 डीएलपी के खाता 71/87 में गैबो पुत्री मुखत्यार सिंह के स्थान पर सही नाम गैबो उर्फ गुरदेव कौर पुत्री मुखत्यार सिंह जाति चूड़ा साकिन लीलावाली अंकित करने के आदेश देने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना-पत्र पेश होने पर तथा सीमेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया एवं उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

में रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक भूअ./1655 दिनांक 13.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 डीएलपी के खाता संख्या 71/67 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में प्रार्थीया का नाम गेबो पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थीया का पीहर ग्राम पंचायत लीलावाली मे है तथा पटवारी हल्का लीलावाली द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 13.05.2024 के अनुसार व ग्राम पंचायत लीलावाली के प्रमाण पत्र के अनुसार गेबो कौर व गुरदेवकौर दोनो एक ही औरत के नाम है तथा उपस्थित लोगो ने दोनो नाम एक ही औरत के बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की ओर से पेश चित्रप्रति आधार कार्ड व निर्वाचन पहचान पत्र एवं पैन कार्ड, सिंचाई विभाग द्वारा जारी पानी की पर्ची, ग्राम पंचायत लीलावाली से प्रमाण पत्र आदि से प्रार्थीया का नाम गेबो उर्फ गुरदेव कौर पुत्री मुखत्यार सिंह साबित होता है तथा तहसीलदार संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया पुर्णतः सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 3 डीएलपी के खाता संख्या 71/87 जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में गेबो पुत्री मुखत्यार सिंह जाति चूड़ा सा.लीलावाली के स्थान पर गेबो उर्फ गुरदेवकौर पुत्री मुखत्यार सिंह जाति चूड़ा साकिन लीलावाली अंकित किया जावे तथा इसी मुताबिक वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में दुरुस्ती की जावे। शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा। पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया